

FORM NO. III

2021
583

फर्द अहकाम

(नरेश सोनी)
(नियम-26)
सपखण्ड अधिकारी

अज अदालत

बालोतरा
देवाराज

नियम

गिरधारी राम

किस्म मुकदमा

131/136 R.L.R. cell

नं. 334 A

सन्. 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16/12/21	<p>प्रार्थीगण स्वयं ने प्रशासन शाखों के संग अधिधान कोर्ट केम्प पर्योदी से उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि मौजा गाम डउमियो का ताया परिवार-कोत साजियाली शपजी राजवेरी के सेत बंसरा नम्बर 381 रकला 119 बीघा 06 बिस्वा भूमि की तरमीम आदिम कदमे करत अनुसार नही की गई है। इसलिये दुशस्ती कराने का निवेदन किया।</p> <p>प्रार्थीगण देवाराज नगे ने आदिम कदमे करत अनुसार तरमीम दुशस्ती किये जाने की सम्मति प्रकट कर अपने हस्ताक्षर किये।</p> <p>तहसीलदार पंचपदरा, उप तहसीलदार पर्योदी, I.L.R पर्योदी व सरपंच गाम पंचायत डउमियो की ताया ने जाय जांच साफन नमशा के परिशिष्ट पत्र के अनुसार तरमीम दुशस्ती कराने का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रार्थी के आपना पत्र को स्वीकार कर मौजा डउमियो का ताया परिवार</p>	<p><i>(Signature)</i></p> <p>मुकदमा</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>सपखण्ड अधिकारी बालोतरा</p>

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

श्रेष्ठ साजियापी अपजी राजावैरी के रयेत
रखत नम्बर 381 रकबा 119 बीब्बा
06 बीब्बा श्रमि भी तरमीम उभय
पक्ष के द्वारा प्रस्तुत सहमति के
आधार पर सपेठन जयिथी02 40
नजरी नम्शा के अनुसार दुस्ती
करने के आदेश नहसीलदार फयफदरा
को दिये जाते है।

निजीय मजमे आम कोर्ट कैम्प
पारोदी में हुआ गया।

फावली जैशल सुमार होकर
नम्बर से कम है।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

सेवामें